

128

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक-

P4310-I-16

/2015-16

पुनरीक्षणकर्ता : राजेश कुमार आ. स्व. त्रिलोकचंद राजपूत
निवासी- स्टेशन गंज, नरसिंहपुर, तहसील
व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

11. राजेश कुमार आ. स्व. त्रिलोकचंद राजपूत
द्वारा आज दि. 23.12.16 को
प्रस्तुत

विरुद्ध

पुनरीक्षणकर्ता : म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला
नरसिंहपुर (म.प्र.)

23.12.16 को
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह
पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा
प्रकरण कमांक 94/अ-20(1)/2005-06 में पारित आदेश दिनांक
15.11.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के
तहत प्रस्तुत करता है :-

8
Dehatundi
23/12/16

तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के नाम से नजूल नगर कन्देली शीट
कं. 22 प्लॉट कं. 21/16 क्षेत्र 825 वर्गफुट भूमि वार्षिक
भू-भाटक 1075.05 रूपया व अवधि 31.03.1996 तक
निवासार्थ प्रयोजन हेतु रा.मा.कं. 13अ/20(1) वर्ष 1986-87
के तहत स्थाई पट्टे पर आवंटित की गई है। उपरोक्त
भूमि के स्थाई पट्टे में अवधि 30.03.1996 अंकित कर देने
के कारण स्थाई पट्टा की अवधि 30.03.1996 दर्ज कर देने
के कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु
नजूल न्यायालय में नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक
04.08.2005 को प्रस्तुत किया जिसका रा.मा.कं. 94अ/20
(1) वर्ष 2005-06 दर्ज कर श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय
नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 15.11.2016 को आदेश पारित कर

858
23/12/16

1
23/12/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4310/एक/2016

जिला-नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-2-17	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 94/अ-20(1)/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के नाम से नजूल नगर कन्देली शीट क्र.22 प्लॉट क्र.21/16 क्षेत्र 825 वर्गफुट भूमि वार्षिक भू-भाटक 1075.05 रुपये व अवधि दिनांक 31.03.1996 तक निवासार्थ प्रयोजन हेतु रा.मा. क्रमांक 13अ/20(1) वर्ष 1986-87 के तहत स्थाई पट्टे पर आबंटित की गयी। उक्त भूमि के स्थाई पट्टे में अवधि दिनांक 30.03.1996 अंकित कर देने के कारण आवेदक द्वारा पट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु नजूल न्यायालय में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका रा.मा. क्रमांक 94अ/20(1) वर्ष 2005-06 दर्ज कर अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 15.11.2016 को आदेश पारित कर आवेदक के ऊपर प्रीमियम राशि 3,85,171.88 रूपया एवं वार्षिक भू-भाटक रूपया 57,775.78 अधिरोपित कर नवीनीकरण स्वीकृत किया गया। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत् अवलोकन किया गया।</p> <p>4- आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया है कि नवीनीकरण प्रकरण में राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा शासन के</p>	






परिपत्र दिनांक 11.07.2014 की कण्डिका 3 (1), 3 (2) एवं 3 (6) में गाईड लाईन के अनुसार गणना की गयी है। जो म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 98 एवं 100 के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.10.2001 के अनुसार निवासार्थ एवं व्यापारार्थ मानक दरें नजूल भूमियों के लिये अनुमोदित की है। इन्हीं मानक दरों के अनुसार गणना कर स्थाई पट्टे का नवीनीकरण किया जाना चाहिये। नजूल नगर कन्देली की शीट क्रमांक 22 के लिये निवासार्थ दर रुपये 9 एवं व्यापारार्थ दर रुपये 13.50 पैसे प्रति 100 वर्गफुट अनुमोदित की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त मानक दरों के आधार पर नवीनीकरण किया जाना चाहिये। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवसाय किया जा रहा है शासन द्वारा व्यापारार्थ मानक दर रुपये 13.50 प्रति 100 वर्गफुट अनुमोदित की गयी है इस मान से प्रश्नाधीन क्षेत्र 825 वर्गफुट का वार्षिक भू-भाटक रुपये 111.38 पैसे निर्धारित होता है। जिसपर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 57775.78 वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करते हुये आदेश पारित किया गया है। जो त्रुटिपूर्ण है अतः निरस्त किया जाये एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् सकारण आदेश पारित किया है, अतः ऐसे आदेश में हस्तक्षेप किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6- उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का विधिवत्

[Handwritten signature]

अवलोकन करने से स्पष्ट है कि म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.10.2001 के अनुसार निवासार्थ एवं व्यापारार्थ मानक दरें नजूल भूमियों के लिये अनुमोदित की हैं। उन्हीं मानक दरों के अनुसार गणना कर स्थाई पट्टे का नवीनीकरण किया जाना चाहिये। नजूल नगर कन्देली की शीट क्रमांक 22 के लिये निवासार्थ दर रुपये 9 एवं व्यापार दर रुपये 13.50 पैसे प्रति 100 वर्गफुट अनुमोदित की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त मानक दरों के आधार पर नवीनीकरण किया जाना चाहिये। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवसाय किया जा रहा है शासन द्वारा व्यापारार्थ मानक दर रुपये 13.50 प्रति 100 वर्गफुट अनुमोदित की गयी है इस मान से प्रश्नाधीन क्षेत्र 825 वर्गफुट का वार्षिक भू-भाटक रुपये 111.38 पैसे निर्धारित होता है। जिसपर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 57775.78 वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करते हुये आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। एक अन्य प्रकरण में अपर कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पारित आदेश दिनांक 24.02.2000 में स्पष्ट किया है, कि कन्देली नरसिंहपुर स्थित भूमि के पट्टे का नवीनीकरण मानक दर तैयार कर राज्य शासन से अनुमोदित करवाने एवं अनुमोदित मानक दर के आधार पर आवेदिका श्रीमती सरोज साहू पत्नी डॉ कृष्ण कुमार साहू के स्थाई पट्टा नवीनीकरण प्रकरण क्रमांक 18अ/20(1) वर्ष 1996-97 का निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 8259/2006 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 में याचिकाकर्ता चतुर्भुज पेशवानी निवासी गांधी वार्ड गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के नजूल भूमि के स्थाई पट्टे का नवीनीकरण मानक दर के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये हैं। आवेदक के पट्टे के प्रथम वार आवंटन के समय प्रीमियम की राशि ली जा चुकी है जो स्थाई पट्टा आवेदक को प्रदाय किया गया है उसकी समस्त कण्डिकाओं में प्रीमियम दुबारा लिये जाने का उल्लेख नहीं है सिर्फ भू-भाटक पुनः निर्धारण करने

एवं शर्त उल्लंघन करने पर 500 रुपये अर्थदण्ड किये जाने का उल्लेख है। भूमि आवेदन नवीनीकरण में प्रदाय स्थाई पट्टे का अनुबंध महामहिम राज्यपाल की ओर से कलेक्टर द्वारा पंजीयन के माध्यम से किया जाता रहा है ऐसी स्थिति में दोबारा प्रीमियम लिया जाना नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक नजूल के प्रतिवेदन को आधार मानते हुये आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर नरसिंहपुर (नजूल) द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/अ-20 (1) 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को प्रदाय पट्टे का नवीनीकरण मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित मानक दर दिनांक 31.10.2001 की व्यापारार्थ दर रुपये 13.50 प्रति 100 वर्गफुट के मान से प्रश्नाधीन क्षेत्र 825 वर्गफुट का वार्षिक भू-भाटक रुपये 111.38 पैसे पर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


सदस्य

